गोपनीय

Confidential

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिये

For Official use only

मध्यप्रदेश शासन

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन
के
कार्य नियम
तथा
उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश

1 जनवरी 2009 तक यथासंशोधित

RULES OF BUSINESS

OF THE

EXECUTIVE GOVERNMENT

OF

MADHYA PRADESH

AND

DIRECTIONS AND INSTRUCTIONS

ISSUED UNDER THOSE RULES

As corrected up to 1st January 2009

सामान्य प्रशासन विभाग
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय

2009

भाग एक—मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम, मध्यप्रदेश शासन कार्य नियम कहलायेंगे.

2. राज्यपाल किसी भी समय, विशेष आदेश द्वारा, इन नियमों में से किसी भी नियम का अनुसरण न किये जाने के संबंध में निर्देश दे सकेंगे या अनुज्ञा दे सकेंगे.

3. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुच्छेद" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान का अनुच्छेद;

(ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है, अनुच्छेद 163 के अधीन गठित मंत्रिपरिषद्; और

*"(ख-1) विलोपित

(ग) "भारसाधक मंत्री से अभिप्रेत है, वह मंत्री, जिसके विभाग के अन्तर्गत मामला आता हो.

4. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 इन नियमों के निर्वचन के लिये उसी प्रकार लागू होता है, जिस प्रकार कि वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिये लागू होता है.

5. परिषद्, राज्यपाल को दी गई सभी सलाह के लिये उत्तरदायी है, चाहे वह (सलाह) किसी एक मंत्री द्वारा अपने विभाग के किसी विषय के संबंध में दी गई हो या परिषद् की किसी बैठक में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप या अन्य किसी प्रकार से दी गई हो.

6. परिषद् ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि वह उस संबंध में निर्धारित करे, अपने कृत्यों में से कोई भी कृत्य मंत्रिपरिषद् समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी और जहां कोई भी कृत्य इस प्रकार सौंपे जायं, वहां समिति के निर्णय, समस्त प्रयोजनों के लिये परिषद् के निर्णय समझे जावेंगे. तथापि, समिति कोई भी विषय परिषद् के निर्णय के लिये आरक्षित रख सकेगी.

"6-क. जिस मंत्रि-परिषद् समिति से उसे सौंपे गए विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, वह समिति अपना प्रतिवेदन अधिकतम तीन मास की कालावधि के भीतर प्रस्तुत करेगी. यदि समिति के लिए उक्त कालावधि के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव न हो, तो ऐसी समिति, मंत्रि-परिषद् को अपने कार्य की प्रगति से अवगत कराते हुए परिषद् से अतिरिक्त समय की मांग करेगी."

**"6-ख. विलोपित

---

* एवं ** अधिसूचना क्रमांक एफ. ए. 1-2/99/एक(1), दिनांक 6-3-2004 द्वारा संशोधित.

PART I— RULES OF BUSINESS OF THE EXECUTIVE GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules, namely :—

1. These rules may be called the Madhya Pradesh Government Rules of Business.

2. The Governor may at any time by special order, direct or permit a departure from any of these rules.

3. In these rules the context otherwise requires,—

(a) "Article" means an Article of the Constitution of India;
(b) "Council" means the Council of Ministers constituted under Article 163; and
* "(b-1) Omitted
(c) " Minister-in-charge" means the Minister to whose department the case pertains.

4. The General Clauses Act, 1897, applies for the interpretation of these Rules as it applies for the interpretation of a Central Act.

5. The Council is responsible for all advice tendered to the Governor, whether by an individual Minister on a matter appertaining to his department, or as the result of discussion at a meeting of the Council or howsoever otherwise.

6. The Council may, subject to such conditions as it may lay down in that behalf, delegate any of its functions to a Committee of Ministers and where any functions are so delegated, the decisions of the Committee shall for all purposes, be deemed to be the decisions of the Council. The Committee may, however, reserve any matter for decision of the Council.

"6-A. A Committee of the Council of Ministers which is required to submit its report on the subjects entrusted to it, shall submit its report within a maximum period of three months. If it is not possible for a Committee to submit its report within the said period, it shall seek additional time from the Council of Ministers, stating the progress of its work."

** "6-B. Omitted

---

* and ** Amended *vide* Notification No. F. A. 1-2/99/I(1), dated 6-3-2004.

7. परिषद के समक्ष मामले इसके अधीन जारी किये गये सामान्य निर्देशों के अनुसार या (एक) मुख्य मंत्री, (दो) मुख्यमंत्री की सम्मति से मामले के भारसाधक मंत्री, या (तीन) अनुच्छेद 167 (ग) के अधीन राज्यपाल के विशेष निर्देश द्वारा लाये जायेंगे:

परन्तु ऐसे किसी भी मामले पर, जिस पर नियम 11 के अधीन वित्त विभाग से परामर्श करना अपेक्षित हो, आपात स्थिति के सिवाय, मुख्यमंत्री निर्देश के अधीन मंत्रीपरिषद द्वारा तब तक चर्चा नहीं की जायेगी, जब तक वित्त मंत्री उस पर विचार किये जाने के लिये तैयार न हो.

8. परिषद् की बैठकों के लिये कार्य-सूची तथा परिषद् की बैठकों का स्थान तथा समय, मुख्य मंत्री के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायेगा. मुख्य मंत्री परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा. उसकी अनुपस्थिति में, मुख्य मंत्री द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया मंत्री इस प्रकार अध्यक्षता करेगा.

9. नियम 5 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी विभाग का भारसाधक मंत्री उस विभाग से संबंधित कार्य के निबटारे के बारे में राज्यपाल को सलाह देने के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होगा.

10. प्रत्येक मंत्री तथा किसी भी विभाग का प्रशासनिक प्रभार रखने वाला प्रत्येक सचिव, ऐसे समस्त मामले, जिनका कि इन नियमों द्वारा या उनके अधीन राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री को प्रस्तुत करना अपेक्षित हो, राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री को प्रेषित करेगा.

11. (एक) कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना, ऐसे किन्हीं भी आदेशों को (वित्त विभाग द्वारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोड़कर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों द्वारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हों या जो, विशिष्ट रूप से या तो—

(क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गों से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा-शर्तों से संबंधित हों, या

(ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत, मंजूरी, पट्टा या अनुज्ञप्ति या जल, विद्युत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अन्तर्वलित हों, या

7. Cases shall be brought before the Council in accordance with the general directions issued hereunder or by a special direction of—

(i) the Chief Minister;

(ii) the Minister-in-charge of the case with the consent of the Chief Minister; or

(iii) the Governor under Article 167 (c):

Provided that no case in regard to which the Finance Department is required to be consulted under rule 11 shall, save in an emergency under the direction of the Chief Minister, be discussed by the Council of Ministers unless the Finance Minister is ready for its consideration.

8. The agenda for meeting of the Council and the place and time of the meetings of the Council shall be submitted for approval to the Chief Minister. The Chief Minister shall preside at meetings of the Council. In his absence a Minister nominated by the Chief Minister shall so preside.

9. Without prejudice to the provisions of the rule 5, the Minister-in-charge of a department shall be primarily responsible for tendering to the Governor advice as to the disposal business appertaining to that department.

10. Every Minister and every Secretary in administrative charge of a department shall transmit to the Governor and to the Chief Minister , all such cases which are required to be submitted to the Governor and the Chief Minister by or under these rules.

11. (i) No department shall, without previous consultation with the Finance Department, authorise any orders (other than orders pursuant to any general delegation made by the Finance Department) which either immediately or by their repercussions will affect the finances of the State or which, in particular, either—

(a) relate to the number or gradings or cadres of posts or the emoluments or other conditions of service of posts; or

(b) involve any grant of land or assignment of revenue or concession, grant, lease or licence of mineral of forest rights or a right to water, power or any easement or privilege in respect of such concession; or

(ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अन्तर्वलित हो,

(घ) सरकार द्वारा कोई गारन्टी दिये जाने संबंधी हो.

(दो) किसी भी प्रस्ताव पर, जिस पर इस नियम के उप-नियम (एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद् द्वारा उस प्रस्ताव का निर्णय न ले लिया गया हो.

(तीन) कोई भी पुनर्विनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग द्वारा ऐसे सामान्य प्रत्यायोजनों के अनुसार ही किया जायेगा, जो कि (प्रत्यायोजन) वित्त विभाग द्वारा किये गये हों, अन्यथा नहीं.

''(चार) उस सीमा के सिवाय, जिस सीमा तक कि वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किए गए नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक आदेश, जिसमें लेखा परीक्षा में प्रवर्तित की जाने वाली मंजूरी संप्रेषित की गई हो, वित्त विभाग द्वारा अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को संसूचित किया जाना चाहिए.''

(पांच) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को, विनियोग अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिये प्राधिकृत करती है.

11-क. ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें शासन की स्थापित कार्मिक नीति या प्रक्रिया से हटकर कोई निर्णय लिया जाना हो, तो सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श लेना आवश्यक होगा.

12. संबंधित विभाग का सचिव, प्रत्येक मामले में इन नियमों के सावधानीपूर्वक पालन के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है और जब वह यह समझे कि उनका सारभूत रूप से अनुसरण नहीं किया जा रहा है, तो वह यह बात मंत्री की जानकारी में लायेगा और यदि वह (मंत्री) सचिव से असहमत हो, तो वह फाइल मुख्य मंत्री को अंकित करेगा.

13. इन नियमों में, उस सीमा तक जिस तक कि आवश्यक हो, समय-समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेशों द्वारा अनुपूर्ति की जा सकेगी.

(c) in any way involve any rilinquishment of revenue

(d) involving giving of a guarantee by Government.

(ii) No proposal, which requires previous consultation with the finance Department under sub-rule (i) of this rule, but in which the Finance Department has not concurred may be proceeded with unless a decision to that effect has been taken by the Council.

(iii) No re-appropriation shall be made by any department other than the Finance Department except in accordance with such general delegations as the Finance Department may have made.

"(iv) Except to the extent that power may have been delegated to departments under rules approved by Finance Department every order of an administrative department conveying a sanction to be enforced in audit should be communicated to the audit authorities by the administrative department as per procedure laid down by the Finance Department."

(v) Nothing in this Rule shall be construed as authorising any department including the Finance Department to make re-appropriation from one grant specified in the Appropriation Act to another such grant.

11-A. In all such cases in which a decision in departure of the established personnel policy or procedure of the Government is to be taken Consultation of the General Administration Department shall be essential.

12. The Secretary of the department concerned is in each case personally responsible for the careful observance of these rules and when he considers that there has been any material departure from them he shall bring the matter to the notice of the Minister who shall, if he differs from the Secretary, mark the file to the Chief Minister.

13. These rules may, to such extent as may be necessary, be supplemented by instructions to be issued from time to time.

भाग दो—परिषद् के मामलों में या परिषद् के समक्ष रखे जाने वाले मामलों के संबंध में कार्य नियम के नियम 7 के अधीन जारी किये गये निर्देश

कार्य नियम के नियम 7 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल, ऐसे मामलों के संबंध में जो कि परिषद् के समक्ष लाये जायेंगे, निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं :—

निम्नलिखित मामले परिषद् के समक्ष इस परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए लाए जायेंगे कि यदि मुख्य मंत्री किसी मामले को इतना आवश्यक समझे कि उस पर तुरन्त आदेश जारी करना जरूरी है तो वह तत्काल आदेश जारी करने के निर्देश दे सकेगा और जब आदेश जारी कर दिये जायें, तब नियम 13 के अधीन अनुपूरक अनुदेश 18 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कागज-पत्र परिहार्य विलम्ब के बिना, परिचालित किये जायेंगे तथा परिषद् की बैठक के समक्ष रखे जायेंगे :—

(एक) विधान के लिये प्रस्ताव, जिनके अन्तर्गत अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश का जारी किया जाना आता हो,

(दो) नया कराधान अधिरोपित करने के लिये, कर-निर्धारण प्रणालियों में या विद्यमान कराधान, भू-राजस्व या सिंचाई दरों के उच्चतम परिमाण में किसी परिवर्तन के लिये, राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऋण लेने के लिये या शासन द्वारा कोई गारंटी देने के लिये प्रस्ताव,

(तीन) ऐसे प्रस्ताव, जिनमें निजी या सार्वजनिक सेक्टर में के औद्योगिक समुत्थानों में राज्य की संचित निधि में से एक लाख रुपये से अधिक राशि के ऋणों या अंशों के रूप में विनिधान अन्तर्वलित हो,

(चार) कोई भी ऐसा प्रस्ताव, जो कि राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करता हो या जो किसी अनुदान में ऐसे पुनर्विनियोग के लिये हो, जिसके संबंध में वित्त विभाग के भारसाधक मंत्री ने सहमति न दी हो,

(पांच) वार्षिक वित्तीय विवरण, तथा अनुपूरक मांगों के लिये प्रस्ताव,

PART II— DIRECTION ISSUED UNDER RULE 7 OF THE BUSINESS RULES IN REGARD TO COUNCIL CASES OR CASES TO BE BROUGHT BEFORE THE COUNCIL

Under rule 7 of the Business rules, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to issue the following directions as to the cases which shall be brought before the Council :—

The following cases shall be brought before the Council, subject to the proviso that if the Chief Minister considers any case to be so urgent as to necessiate the immediate issue of orders, he may direct the issue of orders at once, and when orders have been issued, the papers shall, without avoidable delay, be circulated and brought, before a meeting of the Council in accordance with the procedure laid down in supplementary instruction 18 under rule 13:—

(i) Proposals for legislation, including the issue of an ordinance under Article 213;

(ii) Proposals for the imposition of new taxation, for any change in the methods of assessment or pitch of existing taxation, land revenue or irrigation rates, for the raising of loans on the security of the consolidated Fund of the State;

(iii) proposals involving investment, in the shape of loans, shares, etc. of a sum exceeding rupees one lakh out of the consolidated fund of the State in industrial concerns in the private or the public sector;

(iv) Any proposal affecting the finances of the State or for re-appropriation within a grant in which the Minister-in-charge of the Finance Department has not concurred;

(v) The annual financial statement and proposals for supplementary demands;

(छः)(क) ऐसे प्रस्ताव जिसमें 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी सम्पत्ति का विक्रय, अनुदान या पट्टे के रूप में या तो अस्थायी या स्थायी संक्रामण अन्तर्वलित हो, किन्तु ऐसे मामले परिषद के मामले नहीं होंगे यदि ऐसा संक्रामण नीलाम द्वारा या सरकार के सामान्य नियमों के अधीन या सरकार द्वारा अनुमोदन किसी स्कीम के अधीन किया गया हो,

(ख) ऐसे प्रस्ताव जिनमें दो लाख रुपये से अधिक की हानि को बट्टे खाते डालना अन्तर्वलित हो, किन्तु ऐसे मामले परिषद् के मामले नहीं होंगे जहां बट्टे खाते में डालने के लिये ऐसा विनिश्चय सरकार के सामान्य नियमों के अनुसार या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन लिया गया हो.

(सात) राज्य की वित्त की वार्षिक लेखापरीक्षा समीक्षा तथा लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन,

(आठ) परिषद् की बैठक में पहले लिये गये निर्णय में फेरफार करने या उलटने संबंधी प्रस्ताव,

(नौ) ऐसे प्रस्ताव, जिनमें नीति या प्रथा संबंधी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन अन्तर्वलित हो,

(दस) जांच-समितियों का गठन करने या नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव तथा ऐसी समितियों के प्रतिवेदन, चाहे ऐसी समितियां शासन की स्वप्रेरणा से या विधान सभा के संकल्प के अनुसरण में गठित की गई हों या नियुक्त की गई हों,

(ग्यारह) लोक सेवा आयोग के कृत्यों के परिसीमन के संबंध में अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक के अधीन बनाये गये विनियम,

(बारह) लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन,

(तेरह) आयोग के मार्गदर्शन के लिये शासन द्वारा जारी किये गये कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित पदों के विज्ञापनों से अभिमुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव,

(vi) (a) Proposals involving the alienation either temporary or permanent, by way of sale, grant or lease of Government property exceeding Rs. 10 lac in value, but such cases shall not be Council cases if such alienation is made by way of auction or under the normal rules of Government of under any scheme approved by Government;

(b) Proposals involving writing off losses exceedings Rs. Two lacs but such cases shall not be council cases where such decision for writing off is taken according to normal rules of Government or under any scheme approved by Government.

(vii) The annual audit review of the finances of the State and the report of the Public Accounts Committee.

(viii) Proposals to vary or reverse a decision previously taken at a meeting of the Council;

(ix) Proposals involving any important change of policy or practice;

(x) Proposals to constitute or appoint committees of enquiry and the reports of such committees, whether constituted or appointed by Government on their own initiative or in pursuance of a resolution of the Vidhan Sabha;

(xi) Regulations made under proviso to clause (3) of Article 320 in regard to the limitation of the functions of the Public Service Commission;

(xii) Annual report of the Public Service Commission;

(xiii) Proposals to dispense with advertisements for posts published by the Public Service Commission in accordance with the Executive Instructions issued by Government for the guidance of the Commission;

(चौदह) सेवा नियम तथा उनके संशोधन जब सामान्य प्रशासन विभाग ऐसे नियम या संशोधन से सहमत नहीं हुआ है और संबंधित विभाग ऐसे मामलों को परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक समझता है,

(पन्द्रह) निम्नलिखित नियुक्तियों से संबंधित मामले :—

(1) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य,

(2) महाधिवक्ता, और

(3) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त.

(सोलह) ऐसे किसी लोक पद के, जिसका न्यूनतम मूल पारिश्रमिक 14,300 रुपये प्रतिमाह है, सृजन या समाप्ति के लिये प्रस्ताव, जिसमें ऐसे पदों का जो किसी विधान द्वारा या उसके अनुसरण में या ऐसी किसी स्कीम के अनुसरण में, जो परिषद् द्वारा अनुमोदित हो, या वृहद परियोजना बोर्ड या अन्तर्राज्यिक कन्ट्रोल बोर्ड या अन्तर्राज्यिक कन्ट्रोल बोर्ड की कार्यपालक समिति द्वारा मंजूर किये गये हों सृजन सम्मिलित नहीं है,

(सत्रह) ऐसा कोई भी विषय, जिस पर राज्यपाल अनुच्छेद 167 के खण्ड (ग) के अधीन परिषद् द्वारा विचार किये जाने की अपेक्षा करे,

(अट्ठारह) अनुसूचित क्षेत्रों (पंचम अनुसूची का पैरा 3) के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन,

(उन्नीस) जनजाति मंत्रणा परिषद् की स्थापना (पंचम अनुसूची का पैरा 4),

(बीस) संसद के या राज्य विधान सभा के किसी अधिनियम के किसी अनुसूचित क्षेत्र में प्रवर्तन का अपवर्जन,

(इक्कीस) अनुसूचित क्षेत्र में शांति के लिये तथा अच्छे शासन के लिये विनियम (पंचम अनुसूची का पैरा 5),

(बाईस) अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण संबंधी कोई भी अन्य महत्वपूर्ण विषय,

(xiv) Service rules and their amendments when the General Administration Department has not agreed to such rule or amendment and the concerned Department deems it necessary to submit such cases before the Council.

(xv) Cases relating to the following appointments —

1. Chairman and Member of the Public Service Commission;

2. Advocate General; and

3. Lokayukt and Up-Lokayukt.

(xvi) Proposals for the creation or abolition of any public office where minimum basic remuneration is Rs. 14,300 per month excluding the creation of such offices by or pursuant to any legislation or to any scheme approved by the Council or sanctioned by major Project Board or Inter-State Control Board or the executive committee of Inter-State Control Board.

(xvii) Any matter required by the Governor to be considered by the Council, under clause (e) of Article 167;

(xviii) Reports to the President regarding the administration of the Scheduled Areas (paragraph 3 of Fifth Schedule);

(xix) Establishment of Tribes Advisory Council (paragraph 4 of Fifth Schedule);

(xx) Exclusion of any Act of Parliament or of the State Vidhan Sabha from operation in a Scheduled Area;

(xxi) Regulations for the peace and good Government of a Scheduled Area (paragraph 5 of Fifth Schedule);

(xxii) Any other important matter in relation to the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes;

(तेईस) अनुच्छेद 175 या 176 के अधीन विधान सभा में राज्यपाल का अभिभाषण,

(चौबीस) प्रतिमाओं के परिनिर्माण के लिये भूमि-अनुदान संबंधी प्रस्ताव,

"(पच्चीस) अनुशासनिक मामलों में समन्वय में अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् जारी राज्य शासन के आदेशों के विरुद्ध शासकीय सेवकों द्वारा राज्यपाल को, प्रवृत्त नियमों के अनुसार प्रस्तुत अपील.",

"(पच्चीस-क) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के अधीन पेंशन को रोकने/वापस लेने या कम करने के प्रकरण.",

(छब्बीस) राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों को समाविष्ट करने वाले परिपत्र,

(सत्ताईस) राज्य में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव,

(अट्ठाईस) किसी मामले को क्षेत्रीय परिषद् को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव,

(उन्तीस) क्षेत्रीय परिषद् की बैठकों के कार्य-विवरण,

(तीस) ऐसे मामले जो अशासकीय संस्थाओं को सहायता अनुदान से संबंधित हों, यदि सहायता अनुदान मंजूर करने वाला प्राधिकारी मुख्यमंत्री हो और वह संबंधित संस्था से संबद्ध हो,

(इकतीस) यहां इसमें विनिर्दिष्ट न किया गया कोई भी ऐसा मामला या मामलों का ऐसा वर्ग जिसे परिषद् के समक्ष लाये जाने का मुख्यमंत्री निदेश दे या जो तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए विशेष महत्वपूर्ण हो गया हो,

(बत्तीस) सामान्यतः ऐसे आपवादिक मामलों में जिनमें लोकहित में यह आवश्यक होगा कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु से परे सेवा में रखा जाय.

(xxiii) Address of the Governor to the Vidhan Sabha under Article 175 or 176;

(xxiv) Proposals regarding grant of land for erection of statues;

"(xxv) Appeals preferred by the Government Servants to the Governor in acordance with the rules, in force, against the orders of the State Government in disciplinary cases issued after obtaining approval in coordination.".

"(xxv-A) Cases relating to withholding/withdrawing or reduction in Pension under Rule-9 of the Madhya Pradesh Civil Service (Pension) Rules, 1976.".

(xxvi) Circulars embodying any important changes in the administrative system of the State;

(xxvii) Any proposal of importance affecting the interests of Linguistic minorities in the State;

(xxviii) Proposals to refer any matter to the Zonal Council;

(xxix) Proceedings of meetings of Zonal Council;

(xxx) Cases relating to grant-in-aid to non-official institutions if the authority sanctioning a grant-in-aid is the Chief Minister and he is associated with the institution concerned;

(xxxi) Any case or class of cases, not specified herein, which the Chief Minister may direct to be brought before the Council, or to which the circumstances of the moment may have, given special importance.

(xxxii) Generally such exceptional cases in which it shall be necessary in public interest to retain the persons working on the posts in Scientific and Technical fields in service beyond the age of 60 years.

भाग तीन—राज्यपाल को प्रस्तुत किये जानें वाले मामलों के सम्बन्ध में कार्य नियम के नियम 10 के अधीन जारी किये गये निदेश

कार्य नियम के नियम 10 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल शासन के कार्यों से संबंधित सूचना का उसे पारेषित किये जाने के लिये निम्नलिखित निदेश जारी करते हैं :—

1. भारत सरकार से प्राप्त समस्त ऐसे पत्रों की प्रतियां (जिनके अन्तर्गत प्रधानमंत्री तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों से प्राप्त पत्र आते हैं) जो कि नेमी या महत्व हीन स्वरूप से भिन्न हों, प्राप्त होने के बाद, यथा संभव शीघ्र राज्यपाल को सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएगी.

2. कोई भी ऐसा विषय, जिससे कि राज्य शासन का, भारत सरकार के साथ या अन्य किसी राज्य शासन के साथ संविवाद होने की संभावना हो, ऐसे संविवाद की संभावना का पता लगते ही यथाशीघ्र राज्यपाल की जानकारी में लाया जायेगा.

3. निम्नलिखित वर्ग के मामले, आदेश जारी करने से पूर्व, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत किये जायेंगे :—

(एक) अनुच्छेद 161 के अनुसरण में दण्ड की क्षमा, प्रविलम्बन, स्थगन या परिहार या किसी दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या उसके लघुकरण मंजूर करने के लिये प्रस्ताव,

(दो) निकाल दिया गया,

(तीन) निकाल दिया गया,

(चार) निकाल दिया गया,

(पांच) ऐसे मामले, जिनसे राज्य शासन का, भारत सरकार, किसी भी अन्य राज्य शासन, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से सम्बन्ध प्रभावित होते हों,

PART III— DIRECTIONS ISSUED UNDER RULE 10 OF THE BUSINESS RULES IN REGARD TO CASES TO BE SUBMITTED TO THE GOVERNOR

Under rule 10 of the Business rules, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to issue the following directions for the transmission to him of information with respect to the business of the Government ;—

1. Copies of all communications received from the Government of India (including those from the Prime Minister and other Ministers of the Union), other than those of routine or unimportant character, shall, as soon as possible after receipt, be submitted to the Governor for information.

2. Any matter likely to bring the State Government into controversy with the Government of India, or with any other State Government shall, as soon as the possibility of such controversy is seen be brought to the notice of the Governor.

3. The following classes of cases shall be submitted by the Chief Minister to the Governor before the issue of orders :—

(i) Proposals for the grant of pardons, reprieves, respites or remissions of punishment, or for the suspension, remission or commutation of a sentence in pursuance of Article 161;

(ii) Omitted.

(iii) Omitted.

(iv) Omitted.

(v) Cases which affect the relations of the State Government with the Government of India, any other State Government, the Supreme Court or the High Court;